

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

दुल्ल सिंह

बनाम

अन्ना राम वगैरे

किस्म मुकदमा


दाय

नं.

91

सन

2020.08.14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालिका में जारी हुए
	<p>पिट्टा किये जाने काद पत्र का निष्का किया। प्राप्ति पत्र जिद्ध स्वीकार किया जाकर काद पत्र जो पिद्ध कर रखादील किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्र वली फैसल शुमार छेकर काद तकमील झरिखत झरकर हो। यह निर्णय आज दिनांक 05-10-21 को ग्राम पंचायत के सिमादल के सम्मेलन - 10-आम में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  शिविर प्रभारी अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर पंचायत समिति श्रीमाधोपुर </p>	